न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 200/2018 (2018/00200)

1. उगमा पुत्र छोगा जाति जाट निवासी ग्राम डीडवाडा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०) व अन्य

—प्रार्थीगण

बनाम

1. बींजाराम पुत्र रामदयाल जाति भांभी निवासी ग्राम भोजियावास तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज. व अन्य।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 24/2/25

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री विजय पोषक
वकील अप्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विजय पोषक द्वारा दिनांक 02.07.2018 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज.का.अधि. के तहत पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 49/1 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा बंजर अव्वल, खसरा नम्बर 49/183 रकबा 12 बिस्वा बंजर अव्वल, खसरा नम्बर 48 रकबा 8 बिस्वा गै.मु. चाह (कुआ), खसरा नम्बर 49/2 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा बंजर अव्वल खसरा नम्बर 49/3 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा बंजर अब्बल वाकै ग्राम सुरतपुरा पटवार हल्का ग्राम डीडवाड़ा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज) में अवस्थित है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के पश्चिम व उत्तर दिशा में आवागमन हेतु सदियों पुराना रास्ता अवस्थित है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 58/163 जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 तक की कृषि भूमि के उत्तर दिशा में अवस्थित कच्ची रोड़ जो कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए से बी के रूप में दर्शित कर रखी है उससे होते हुए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 58/163 में से होते हुए पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे आगे अप्रार्थीया संख्या 4 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 46 में चलते हुए पश्चिम से पूर्व उसके बाद उत्तर से दक्षिण होते हुए खसरा नम्बर 45 में घुसकर पश्चिम से पूर्व दिशा में होते हुए अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि में आते जाते है। खसरा नम्बर 46 में उक्त रास्ता संलग्न नजरी नक्शे में ई से एफ., एफ. से जी दर्शित कर रखा है एवं खसरा नम्बर 45 में जी से एच. व एच. से आई. दर्शित कर रखा है। संलग्न नजरी नवशे में सी से डी रास्ते की लम्बाई उत्तर से दक्षिण 413 फीट है व पश्चिम से पूर्व चौड़ाई 13 फीट है। खसरा नम्बर 46 में डी से ई 13 फीट उत्तर से दक्षिण लम्बाई है व 13 फीट चौड़ाई है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 46 में ई से एफ पूर्व पश्चिम लम्बाई 47 फीट है व चौड़ाई 13 फीट है, खसरा नम्बर 46 में ही एफ. से जी. लम्बाई उत्तर से दक्षिण 100 फीट है चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 13 फीट है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 46 में रास्ते की लम्बाई 160 फीट व चौड़ाई 13 फीट है व खसरा नम्बर 45 में उत्तर से दक्षिण लम्बाई जी से एच. 15 फीट तथा एच. से आई चौड़ाई 13 फीट है। उक्त रास्ता कमशः खसरा नम्बर 58/163, खसरा नम्बर 45 खसरा नम्बर 45 की मेड़ के सहारे सहारे अवस्थित है जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में अंकित, वर्णित एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित एवं वर्णित आवागमन के रास्ते का प्रचलित राजस्व रेकार्ड एवं मानचित्र में अंकन, अमल दरामद तरमीम ना होने से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उक्त आवागमन के रास्ते में आये दिन बाधा, व्यवधान, हस्तक्षेप करते रहते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

इस कारण प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र उक्त रास्ते का राजस्व रेकार्ड, राजस्व मानचित्र में कायम रहते हुए अंकन, अमल दरामद, तरमीम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण नियमानुसार अप्रार्थीगण की रास्ते में आवागमन हेतु आने वाली भूमि जो कि नजरी नक्शे में एवं प्रार्थना पत्र मे अंकित है, का नियमानुसार प्रतिफल राशि प्रार्थीगण को अदा करने, माननीय न्यायालय में जमा कराने को तैयार एवं तत्पर है अतः श्रीमान् की सेवा में प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है जिसको मंजूर फरमाते हुए प्रार्थीगण को राहत प्रदान करने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 02.07.2018 को दर्ज क्रमांक 200/2018 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 10.08.2018 को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 06 की ओर से वकील श्री विजेन्द्र सेनी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 04 व 05 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 25.09.2018 को अप्रार्थी संख्या 06 की ओर से जवाब पेश हुआ जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया कि तहसीलदार किशनगढ को पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है एवं श्रीमान से निवेदन है कि आदेश पारित करने समय बैंक के हितों को मध्यनजर रखते हुये आदेश पारित कियें जावे। दिनांक 08.11.2019 को वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार तहसीलदार, भूमिधारी होता है इस कारण प्रत्येक वाद, प्रार्थना पत्र में भूमिधारी / भू–धारी को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है इसके अभाव में वाद व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है एवं इस प्रकरण में विशेषकर पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक है चूंकि बिना पक्षकार के तहसीलदार महोदय, द्वारा धारा 251 (ए) में मौके की रिपोर्ट अथवा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना किया जाना कतई सम्भव नहीं है चूंकि भू–धारी पक्षकार नहीं होने से आदेश की पालना किया जाना विधि के तहत आवश्यक नहीं है चुंकि माननीय न्यायालय द्वारा रास्ता की भूमि बाबत् पक्षकारो का मुआवजा प्रदत्त किया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा प्राप्त नहीं करने पर राज्य सरकार के खाते में प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकर्ता द्वारा मुआवजा राशी जमा करवाई जाती है जो भी खाता भू–धारी/तहसीलदार के नाम किया जाता है इस प्रकार उक्त प्रकरण में भू–धारी / तहसीलदार आवश्यक पक्षकार होते 1/ हुये भी प्रार्थीगण द्वारा पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जो पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 47 का भाग में से होकर स्वयं की आराजी में आने जाने का कार्य किया जा रहा है पूर्वी भाग में गांव की सहरद है जिसमें से दोनो गावों की सहरद से होकर रास्ते के रूप में आते जाते रहे है प्रार्थीगण एकमात्र खसरा नम्बर 47 के पक्षकारों का संयोजित कर खसरा नम्बर 47 का कुछ भाग में से होकर अपनी आराजी में आते–जाते रहे है जो रास्ता प्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शे में अंकित किया गया है वह लम्बा एवं दो पक्षकारों को अलग–अलग मुआवजा प्रद्धत्त किया जाकर प्राप्त होता है जबकी प्रार्थीगण पूर्वी सीमा जो गांव की सरहद है में से होकर खसरा नम्बर 47 का कुछ भाग में से होकर रास्ता प्राप्त कर सकता है जो अप्रार्थीगण द्वारा जवाब के साथ में प्रस्तावित एवं प्रार्थीगण आवागमन करते आ रहे है जिसका नजरी नवशा पेश किया जा रहा है जो जवाब का अभिन्न अंग है उक्त रास्ता ही सरल, लघुतम, सहज, सुलभ, निकटतम होता है केवल मात्र प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विधिक तौर से चलने योग्य नहीं है। धारा 251 (ए) के मंशा के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इस कारण प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है। प्रार्थीगण, जवाबकर्तागण की आराजी से कभी भी आते जाते नहीं रहे है एवं जो लाल स्याही से रास्ता अंकित किया गया है वह गलत है। प्रार्थीगण पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 47 का भाग में से होकर स्वयं की आराजी में आने जाने का कार्य किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 के कथन गलत है अस्वीकार है प्रार्थीगण द्वारा अंकित रास्ता बेहद लम्बा रास्ता है एवं प्रार्थीगण कभी भी उक्त अप्रार्थीगण/जवाबकर्ता की आराजी में आते जाते नहीं रहे है एवं प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने के लिये पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 47 का भाग में से होकर स्वयं की आराजी में आने जाने का कार्य किया जा रहा है एवं जो पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 47 में से आने जाने हेतु सरल, लघुतम, सहज, सुलभ, निकटतम रास्ता है। प्रार्थीगण, जवाबकर्तागण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र के कथन गलत है अस्वीकार है प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता बहुत ही लम्बा है एवं दो खसरा नम्बर में से मांगा गया रास्ता है जो धारा 251 (ए) के प्रावधानो के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है चुंकि अगर प्रार्थीगण की मंशा रास्ता लेने की होती तो प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी

सबसे सरल, लघुतम, सहज, सुलभ, निकटतम रास्ते की मांग करते जो प्रार्थीगण का उद्देश्य बाधकर्तागण को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है।

दिनांक 15.01.2020 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे दिनांक 05.03.2021 को स्वीकार किया गया। दिनांक 30.03.2021 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई।

दिनांक 31.07.2024 को वकील अप्रार्थी द्वारा एक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जो पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 47 का भाग में से होकर स्वयं की आराजी में आने जाने का कार्य किया जा रहा है पूर्वी भाग में गांव की सहरद है जिसमें से दोनो गावों की सहरद से होकर रास्ते के रूप में आते जाते रहे है प्रार्थीगण एकमात्र खसरा नम्बर 47 के पक्षकारों का संयोजित कर खसरा नम्बर 47 का कुछ भाग में से होकर अपनी आराजी में आते–जाते रहे है जो रास्ता प्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शे में अंकित किया गया है वह लम्बा एवं दो पक्षकारो को अलग–अलग मुआवजा प्रदत्त किया जाकर प्राप्त होता है जबकी प्रार्थीगण पूर्वी सीमा जो गांव की सरहद है में से होकर खसरा नम्बर 47 का कुछ भाग में से होकर रास्ता प्राप्त कर सकता है जो अप्रार्थीगण द्वारा जवाब के साथ में प्रस्तावित एवं प्रार्थीगण आवागमन करते आ रहे है जिसका नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है जो जवाब का अभिन्न अंग है उक्त रास्ता ही सरल, लघुतम, सहज, सुलभ, निकटतम होता है केवल मात्र प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार जो तहसीलदार महोदय, द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है वह विधि विरूद्ध पेश की गयी है चुकि तहसीलदार द्वारा आस–पडोस के सभी रास्तो की रिपोर्ट प्रस्तुत न करके केवल मात्र जो प्रार्थी ने रास्ता चाहा है वह रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जबकी तहसीलदार महोदय, को अप्रार्थी द्वारा पेश जवाब के अनुसार अर्थात अप्रार्थी द्वारा बताये गये रास्ते अनुसार भी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए थी जिससे माननीय न्यायालय को न्याय, निर्णय करने में सुगमता होती। तहसीलदार महोदय, द्वारा मौके की रिपोर्ट लेने हेतु सभी पक्षकारों को नोटिस नहीं दिया गया अर्थात कोई सूचना नहीं दी गयी है जबकी विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि मौके पर सभी काश्तकारों की उपस्थिती में मौके की रिपोर्ट लेना आवश्यक है एवं सभी काश्तकारों / पक्षकारों को नोटिस देकर रिपोर्ट लिया जाना न्यायहित में आश्वयक है इस प्रकार तहसीलदार महोदय द्वारा अपनी मनमर्जी पूर्वक नोटिस प्रेषित न करके रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जो रिकार्ड पर लिया जाना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। धारा 251 (क) के प्रावधानों के तहत मौके पर गिरदावर अथवा तहसीलदार महोदय, द्वारा मौके पर जाने से पूर्व प्रभावित पक्षकारों को मौका रिपोर्ट हेतु नोटिस प्रेषित करना आवश्यक है इस विधि की धारणा को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा आर०आर०टी० 2023 (1) पेज नम्बर 490 **Site report prepare 251 A without giving notice opposite party not consideration)** इसी परिपेक्ष्य में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा आर०बी० जे० 2021 पेज नम्बर 276 में अभिनिर्धारित किया गया कि 'निरिक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट का नोटिस नहीं दिया मौका रिपोर्ट को खारीज किया गया एवं पुनः पक्षकारों की उपस्थिती में मौका रिपोर्ट मनाने हेतु निर्देशित किया गया" जबकी उक्त प्रकरण में न तो सभी अप्रार्थीगणो का एक ही नोटिस में प्रेषित किया गया है। पटवारी/गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर धारा 251 (क) के प्रार्थना पत्र का निर्णय नहीं किया जा सकता है इस परिपेक्ष्य में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा आर०आर०टी० 2020 (2) पेज नम्बर 979 में स्पष्ट अंकन किया गया है कि New way cannot be sancetioned under section 251 A on the basis of report of patwari जहां मौके की रिपोर्ट विवादित हो एवं वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी उस स्थिती में माननीय न्यायालय स्वयं पक्षकारों की उपस्थिती में मौका रिपोर्ट देखा जा सकता है ऐसी स्थिती में मौका निरक्षण करना आवश्यक हो जाता है इस परिपेक्ष्य में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा आर०आर०टी० 2016–2017 पेज नम्बर 597 में अभिनिर्धारित किया गया है कि SDO himself inspect the site in presence of the parties to ensure the availability of the way, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा आर०आर०टी० 2021 पार्ट पेज नम्बर 1286 एवं डि०एन० जे० (रेवेन्यु) 2019 पेज नम्बर 262 में अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां वैकल्पिक रास्ता मौजूद है एवं सबसे सरलतम, निकटतम्, लघुतम, सुगमतम है वहां से ही रास्ता दिया जा सकता है। जबकी प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग है वास्तविक रिपोर्ट आने पर स्पष्ट हो जायेगा। "वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने पर नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है, अप्रार्थीगण की ओर से सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि उपरोक्त प्रकरण में पुनः सभी पक्षकारो को विधिवत नोटिस देकर सभी रास्तो की जो

से सरलतम, निकटत, लघुतम रास्ता हो एवं अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में बताये रास्ते अनुसार रिपोर्ट मंगवाया जाये जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष स्पष्ट स्थिती प्रकट हो सकें। अतः श्रीमान् से निवेदन है अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त प्रकरण में पुनः सभी पक्षकारो को विधिवत नोटिस देकर सभी रास्तो की जो सबसे सरलतम, निकटत, लघुतम रास्ता हो एवं अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में बताये रास्ते अनुसार भी रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.08.2024 को पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 के कथन गलत होने से अमान्य एवं अस्वीकार है। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। खसरा संख्या 47 में से भी कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र व नजरी नक्शे में दर्शित एवं तहसीलदार साहब द्वारा मौका रिपोर्ट में अंकित रास्ता ही निकटम, लघुतम, सुगम रास्ता है। मौका रिपोर्ट मौके पर बाद जॉच विधिक रूप से प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थीगण ने अपने नजरी नक्शे में गलत अंकन कर गलत जवाब व गलत नक्शा प्रस्तुत किया है जो अमान्य एवं अस्वीकार है। मौके पर जब कोई वैकल्पिक निकटम, लघुतम, सुगम रास्ता ही नहीं है तो तहसीलदार साहब द्वारा कैसे गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती। अप्रार्थीगण ने गलत तथ्यों का अंकन कर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 व 3 के कथन गलत होने से अमान्य एवं अस्वीकार है। तहसीलदार साहब ने अप्रार्थीगण को सूचित कर मौके पर जाकर मौके अनुसार विधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अविधिक होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 के कथन गलत होने से अमान्य एवं अस्वीकार है। उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से अप्रार्थीगण का आपत्ति प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 5 के कथन गलत होने से अमान्य एवं अस्वीकार है। उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण को विलम्बित किये जाने की नियत से प्रस्तुत किया है। तहसीलदार साहब द्वारा बाद सूचना मौका निरीक्षण कर विधिक रूप से रिपोर्ट तैयार की है इस कारण आपत्ति प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। अतः श्रीमान् की सेवा में प्रार्थीगण की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि आपत्ति प्रार्थना पत्र विशेष हर्जे खर्चे के साथ निरस्त फरमाते हुए प्रार्थीगण को रास्ता प्रदान करवाया जावे।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.03.2021 का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थी को रास्ता खसरा संख्या 58/163 के मध्य में दिया जाना है किन्तु खसरा संख्या 58/163 निजी खातेदारी की भूमि है जिसमें आगे मुख्य रास्ते तक जाने का कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, जबकि धारा 251(क) के प्रावधानुसार मुख्य रास्ते से ही रास्ता दिया जाना विधिक रूप से संभव है, तहसीलदार रिपोर्ट से यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम एवं लघुत्तम है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वकील अप्रार्थी द्वारा पेश आपत्ति प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24/2/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)